न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा।
स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–612/2026
CNR No.-UPAG01-007016-2026
अनिल गर्ग उर्फ अन्नी प्रति राज्य एवं अन्य

02.07.2026

आज यह पत्रावली पेश हुई। स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3ब पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक को सुना, आदेश हेतु पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3ब संक्षेप में इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि सत्र परीक्षण संख्या–219/2011 राज्य प्रति अनिल उर्फ अन्नी, सत्र परीक्षण संख्या–665/2012 राज्य प्रति हरीश त्यागी एवं सत्र परीक्षण संख्या–809/2022 राज्य प्रति अशोक आदि एक ही मुकदमा अपराध संख्या–66/2008, थाना–खेरागढ़ से सम्बन्धित हैं, जिनका विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–15, आगरा द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में आवेदक/अभियुक्त की पत्नी श्रीमती शिवानी गर्ग द्वारा न्यायालय विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0 अधिनियम), आगरा में वाद दाखिल किया गया तथा स्वयं के अलावा अन्य लोगों को बतौर गवाह परीक्षित कराया गया जिसमें सम्बन्धित न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना खेरागढ आगरा, विक्रम सिंह तौमर थानाध्यक्ष बसई जगनेर व संजीव कुमार को बतौर अभियुक्त तलब किया गया। दिनांक 02.06.2008 उक्त तलवी आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। वर्तमान में उपरोक्त मुकदमें में स्टे नहीं है। दिनांक 20.09.2025 को अभियुक्तगण के विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट एवं धारा–82 व 83 दं0प्र0सं0 के आदेश पारित किये गये जिनकी कार्यवाही सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि उपरोक्त दोनों मुकदमें एक ही घटना दिनांकित 23.03.2008 समय करीब 08:15 पीएम से सम्बन्धित हैं, इसके अलावा घटनास्थल एवं पक्षकार भी समान हैं, इसलिए यह क्रॉस केस की श्रेणी में आते हैं। न्यायहित में सत्र परीक्षण संख्या–219/2011, 665/2011 एवं 809/2022 तथा क्रॉस केस के सत्र परीक्षण संख्या–50/2008 को किसी एक ही न्यायालय में अंतरित किये जाने की प्रार्थना की गई है। समर्थन में शपथपत्र 4ब प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित न्यायालयों से उक्त वादों के लम्बित होने के सम्बन्ध में आख्यायें प्राप्त हुयीं हैं।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–15, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या में वर्णित किया गया है कि मुकदमा अपराध संख्या–66/2008 व सम्बन्धित अन्य प्रकरणों में निर्णय हेतु दिनांक 04.07.2026 की तिथि नियत है। प्रार्थिनी शिवानी गर्ग की ओर से क्रॉस केस का परीक्षण एक ही न्यायालय में कराए जाने के सम्बन्ध में कथन करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0 अधिनियम), आगरा में परिवाद लम्बित होने के सम्बन्ध में कथन किया गया है तथा उक्त परिवाद से सम्बन्धित प्रपत्रों की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई हैं किन्तु न्यायालय विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0 अधिनियम), आगरा के समक्ष विचाराधीन परिवाद क्रॉस केस दर्शित नहीं होता है, क्योंकि घटनास्थल एवं अपराध की प्रकृति भिन्न–भिन्न है। यह भी कथन किया गया है कि प्रकरण में निर्णय पारित न हो सके और प्रकरण न्यायालय के समक्ष लम्बित बना रहे, इस दृष्टिकोण से स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता कि मुकदमा अपराध संख्या–66/2008 से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–219/2011, 665/2012 एवं 809/2022 स्टेट केस हैं, जबकि सत्र परीक्षण संख्या–50/2008 एक परिवाद के रूप में संस्थित किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या–66/2008 धारा–147, 148, 149, 307, 332, 353, 333, 336, 436, 427, 341, 504 व 506 भा0दं0सं0 से सम्बन्धित है जबकि सत्र परीक्षण संख्या–50/2008 धारा–395, 397 व 342 भा0दं0सं0 से सम्बन्धित है। दोनों मामलों के वादों की प्रकृति भिन्न–भिन्न है। यह सही है कि दोनों मामलों में कथित घटनाओं का दिनांक समान है परन्तु घटना घटित होने के समय भिन्न–भिन्न हैं। उक्त दोनों मामलों में साक्षी भी भिन्न–भिन्न हैं तथा विचारण के लिए अपेक्षित साक्ष्य भी समान नहीं हैं। अतः केवल इस आधार पर कि आवेदक द्वारा उक्त मामलों को एक ही घटना से संबंधित होना बताया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों प्रकरण क्रॉस केस की श्रेणी में आते हैं अथवा उनका संयुक्त विचारण आवश्यक है।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–15, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मुकदमा अपराध संख्या–66/2008 व उससे सम्बन्धित प्रकरण में सुनवाई पूर्ण हो चुकी है तथा प्रकरण निर्णय हेतु नियत हैं। ऐसी स्थिति में, जब विचारण अंतिम चरण में है, स्थानान्तरण का कोई औचित्य परिलक्षित नहीं होता है।

तदैव स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में वर्णित आधारों पर प्रकरणों को किसी एक ही न्यायालय में अंतरित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। इस प्रकार स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में कोई सार–तत्व प्रकट नहीं होता है। स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3ब निरस्त किया जाता है। इस आदेश की प्रति संबंधित न्यायालयों को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

यह प्रकीर्ण वाद तद्नुरूप अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है। इस प्रकीर्ण वाद की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा।

दिनांक : 02.07.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.07.02 16:30:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court